भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 6123

(दिनांक 01.04.2026 को उत्तर देने के लिए)

एफएफओ के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू फिल्म परियोजनाओं को सहायता

6123. श्री बृजमोहन अग्रवालः

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2024 से फिल्म सुविधा कार्यालय (एफएफओ) के माध्यम से सहायता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू फिल्म परियोजनाओं और संबंधित परियोजनाओं की सूची के साथ दी गई स्वीकृतियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) निर्बाध "एकल खिड़की" अनुभव सुनिश्चित करने के लिए छत्तीसगढ़ जैसे "श्रेणी-ग" वाले फिल्म निर्माण राज्यों में राज्य-स्तरीय मंजूरी प्रणालियों के साथ एफएफओ वेब पोर्टल को एकीकृत करने के लिए क्या विशिष्ट उपाय किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का कम प्रतिनिधित्व वाले क्षेत्रीय सर्किट में निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए स्थानीय प्रतिभाओं को काम पर रखने हेतु स्तरीय व्यय सीमा या "सांस्कृतिक बोनस" शुरू करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हाँ, तो पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में फिल्म पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एफएफओ को स्वदेश दर्शन जनजातीय सर्किट के साथ जोड़ने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) क्षेत्रीय सिनेमा के लिए संवहनीय "बिलो-द-लाइन" क्रू बेस बनाने हेतु गैर-मेट्रो क्षेत्रों में विशेष कौशल विकास केन्द्रों के विस्तार की समय-सीमा का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूचना और प्रसारण एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री

(डॉ. एल. मुरूगन)

(क) से (ङ): फिल्म सुविधा कार्यालय (एफएफओ), जिसका नाम अब "इंडिया सिने हब (आईसीएच)" किया गया है, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एनएफडीसी) के अंतर्गत स्थापित

किया गया है और भारत में फिल्म शूटिंग हेतु अनुमतियाँ प्रदान करने के लिए एकल-खिड़की सुविधा तंत्र के रूप में कार्य करता है।

वर्ष 2024 से, आईसीएच ने विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों तथा राज्य सरकारों के साथ समन्वय करते हुए घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों प्रकार की फिल्म परियोजनाओं को सुविधा प्रदान की है। राज्य-वार परियोजना विवरण आईसीएच पोर्टल https://indiacinehub.gov.in/ पर उपलब्ध हैं।

आईसीएच को राज्य-स्तरीय स्वीकृति प्रणालियों के साथ एकीकृत किया जा रहा है, ताकि एक निर्बाध और कुशल फिल्मांकन अनुभव सुनिश्चित किया जा सके। इसमें मौजूदा राज्य कार्यप्रवाहों की मैपिंग मानचित्रण और संरेखण, सामान्य आवेदन प्रारूपों को अपनाना तथा स्वीकृति प्रक्रियाओं का मानकीकरण शामिल है, जिससे बैकएंड एकीकरण सुगम हो सके। छत्तीसगढ़ सहित राज्य प्रणालियों के साथ पोर्टल के एकीकरण के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि फिल्मांकन में सुगमता बढ़ाई जा सके और समन्वय को सुदृढ़ किया जा सके।

सरकार राज्यों को स्थानीय भागीदारी और क्षेत्रीय सिनेमा को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन तंत्र सहित अपनी स्वयं की फिल्म नीतियाँ तैयार करने के लिए प्रोत्साहित करती है। पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में संबंधित सक्षम प्राधिकरणों से आवश्यक अनुमतियों और लागू पर्यावरणीय दिशा-निर्देशों के अनुसार फिल्म शूटिंग की सुविधा प्रदान की जाती है।

देशभर में राज्य सरकारों और उद्योग हितधारकों के सहयोग सहित क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए प्रयास जारी हैं।
